



2026:AHC-LKO;20182

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

लखनऊ

आपराधिक विविध जमानत प्रार्थना पत्र संख्या - 1717/2026

रिज़वान

.....प्रार्थी (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव (गृह), लखनऊ

.....विपक्षी पक्ष(गण)

प्रार्थी (गण) के अधिवक्ता	: आशुतोष बाजपेयी
---------------------------	------------------

विपक्षी (गण) के अधिवक्ता	: शा.अ.
--------------------------	---------

न्यायालय संख्या-15

माननीय न्यायमूर्ति करुणेश सिंह पवार

प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता और राज्य की ओर से विद्वान अ०शा०अ० को सुना, तथा अभिलेख का अवलोकन किया।

प्रथम सूचना रिपोर्ट को पढ़ने से यह प्रतीत होता है कि एक 'मुखबिर खास' (गोपनीय जानकारी देने वाला) ने पुलिस दल से संपर्क किया। उसने बताया कि गाय के बछड़ों की हत्या की गई है और इसमें शामिल लोग मांस को ठिकाने लगाने का प्रयास कर रहे हैं। इस जानकारी पर कार्रवाई करते हुए, पुलिस दल बताई गई जगह पर पहुंचा। वहां पहुंचने पर, कथित तौर पर उन्हें कुछ आवाज़ें सुनाई दीं, जिनमें कहा जा रहा था कि अब सुबह होने वाली है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। समस्त कानूनी और सरकारी उद्देश्यों हेतु, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



इसके बाद पुलिस दल ने वहां मौजूद लोगों को ललकारा, उन्हें बताया कि उन्हें चारों तरफ से घेर लिया गया है, और उनसे आत्मसमर्पण करने को कहा। इसके जवाब में, कथित तौर पर अभियुक्तों ने उकसाया कि चूंकि पुलिस आ गई है, इसलिए उनमें से किसी को भी भागने नहीं दिया जाना चाहिए और उन्हें गोली मार देनी चाहिए। आगे यह भी आरोप है कि पुलिस दल ने गोलीबारी शुरू कर दी, जिसके दौरान अभियुक्तों में से एक ने चिल्लाकर कहा कि उसे गोली लग गई है। इसके बाद, मौके पर ही तीन लोगों को पकड़ लिया गया, जबकि चौथा व्यक्ति भाग निकलने में कामयाब रहा।

प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने यह निवेदन किया है कि अभियोजन पक्ष की कहानी अत्यंत अविश्वसनीय है और उसमें गंभीर विसंगतियां हैं। यह इंगित किया गया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार, कथित घटना सुबह 10:45 बजे घटित हुई बताई गई है; तथापि, उसी तारीख की मांस निरीक्षण आख्या में निरीक्षण का समय सुबह 10:00 बजे दर्ज है, अर्थात् कथित घटना के घटित होने से पहले का समय अंकित है। यह तर्क दिया गया है कि घटनाओं का ऐसा क्रम अत्यंत असंभव है और यह अभियोजन पक्ष के मामले को संदिग्ध बना देता है।

विद्वान अधिवक्ता आगे यह निवेदन करते हैं कि इस स्पष्ट असंभाव्यता को संज्ञान में लेते हुए, इस न्यायालय की एक खंडपीठ ने—आपराधिक विविध रिट याचिका संख्या 1393/2026 में सह-अभियुक्त अकबर अली के पक्ष में एक अंतरिम आदेश पारित करते समय—पुलिस अधीक्षक, बहराइच से एक व्यक्तिगत शपथ-पत्र तलब किया है। यह तर्क भी दिया गया है कि प्रार्थी को झूठा फंसाया गया है, और एक 'बांका' (धारदार हथियार) की कथित बरामदगी, साथ ही मांस की बरामदगी, मनगढ़ंत है। विद्वान अधिवक्ता के

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। समस्त कानूनी और सरकारी उद्देश्यों हेतु, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



अनुसार, विशेष रूप से मांस निरीक्षण रिपोर्ट में दिखाई देने वाली विसंगति को देखते हुए अभियोजन पक्ष का पूरा मामला झूठ का पुलिंदा है। यह निवेदन किया गया है कि 25 किलोग्राम मांस की बरामदगी झूठी है।

इसके अतिरिक्त यह भी निवेदन है कि जेल से रिहा होने के बाद प्रार्थी के भाग जाने अथवा साक्षियों के साथ छेड़छाड़ करने की कोई संभावना नहीं है। यदि प्रार्थी को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की इस स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

विद्वान अ.शा.अ. ने जमानत का प्रार्थना पत्र का विरोध किया, लेकिन वे प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किए गए उपरोक्त तथ्यों का खंडन नहीं कर सके।

मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर उचित विचार करने के बाद—विशेष रूप से इस न्यायालय की खण्ड पीठ द्वारा पारित आदेश (जैसा कि ऊपर बताया गया है), इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि प्रार्थी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, कि कथित अपराधों की सुनवाई न्यायालय द्वारा की जा सकती है, और यह कि प्रार्थी 22.01.2026 से जेल में निरुद्ध है—मेरा सुविचारित मत है कि प्रार्थी ने जमानत दिए जाने के लिए एक उपयुक्त मामला प्रस्तुत किया है।

तदनुसार, जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

प्रार्थी रिज़वान, जो मुकदमा अपराध/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 13/2026 में शामिल है (धारा 109(1), 325, 3(5) भा०न्या०सं० के तहत; और धारा 3/5/8 उ०प्र० गौ-हत्या निवारण अधिनियम के तहत; थाना जरवल रोड, जिला बहराइच), को उपरोक्त मामले में जमानत पर रिहा किया जाए। इसके लिए

उसे संबंधित मजिस्ट्रेट/न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार, उतनी ही राशि का



एक निजी मुचलका और दो प्रतिभू पेश करने होंगे; यह रिहाई निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी:-

- I. प्रार्थी अभियोजन साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
- II. प्रार्थी अभियोजन साक्षियों पर दबाव नहीं डालेगा।
- III. प्रार्थी परीक्षण न्यायालय द्वारा निर्धारित प्रत्येक तिथि पर उपस्थित होगा।

कोई भी अन्य शर्त (शर्तें), जिसे परीक्षण न्यायालय/संबंधित न्यायालय मामले की परिस्थितियों में उचित और सही समझे, भी लगाई जा सकती है।

यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में की गई टिप्पणियाँ केवल वर्तमान ज़मानत प्रार्थना पत्र तक ही सीमित हैं, और इनका परीक्षण के गुण-दोष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(न्यायमूर्ति करुणेश सिंह पवार)

19 मार्च, 2026

के के बी/